

(119)

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 327

दिनांक:- 10/2/2021

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि० द्वारा जिला के अंचल, छत्तरपुर के ग्राम-रूदवा में 132/33 के०वी० ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 2.43 हे० (6.00 एकड़) 'गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी' प्रस्ताव संख्या-FP/JH/Substation/40007/2019 के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 251 दिनांक 01.02.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया है। जिसमें शर्त सं० ठ एवं ड को भूलवश कंडिका 12 में एक साथ समाहित हो गया है। जिसे संशोधित शर्तवार प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन प्रतिवेदन
क	वन भूमि की बैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-1
ख	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP (c) 202/1995 में दिनांक- 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 2.43 हे० वन भूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP (c) 202/1995 में दिनांक- 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 2.43 हे० वन भूमि हेतु कुल 15,21,180.00 रु० मात्र NPV मद की राशि कैम्पा खाता में जमा किया है। जिसका Payment Refrence No.- CNRBR51020110651458435 Dated 07.11.2020 है। अनुलग्नक-2
ग	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अन्तर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-3
घ	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि के CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भिन्न-भिन्न मदों में CAMPA खाता में जमा कि गई राशि की विवरणी निम्नवत् है। NPV मद में — 15,21,180.00 100 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) — 19,16,142.00 34,37,322.00 कुल चौतिस लाख सैतिस हजार तीन सौ बाईस रु० मात्र CAMPA खाता नं० 150727340007266 में IFC Code No.

		CORP0000371 Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की गई है। अनुलग्नक-4
ड.	प्रस्तावित वनभूमि में ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के क्रम में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-5
च	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में कुल 100 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में कुल 100 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 19,16,142.00 रु मात्र कैम्पा खाता में जमा किया गया है। जिसका Payment Refrence No.- CNRBR51020110651458435 Dated 07.11.2020 है। (अनुलग्नक-6 संलग्न।)
छ	ग्रीड से जो तार बाहर खींचे जाए उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से ऊँचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-7
ज	ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-8
झ	भविष्य में यदि राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-9
ञ	वन भूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-10
ट	यदि गैर वन भूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जाएगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-11
ठ	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-12
ड	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-13

ढ	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।
---	---	--

अनुपालन पूर्व में प्रेषित पुस्तिका में अनु0-12 एवं 13 संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 327

दिनांक 10/2/2021

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/SM, ट्रांसमिशन प्रमंडल JUSNL, डालटेनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0/c

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. D. S.

10.2.21

113

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 251

दिनांक:- 01.12.2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि० द्वारा जिला के अंचल, छत्तरपुर के ग्राम-रूदवा में 132/33 के०वी० ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 2.43 हे० (6.00 एकड़) 'गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी' प्रस्ताव संख्या-FP/JH/Substation/40007/2019 के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 31 दिनांक 06.01.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि प्रशनगत परियोजना हेतु वन विभागीय का पत्रांक वनभूमि-45/2019-3424व०प० राँची दिनांक 04.09.2019 द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गई कुल 13 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 31 दिनांक 06.01.2021 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार अनुपालन प्रतिवेदन शर्तवार निम्नवत् प्रतिवेदित है:-

क्र०सं०	शर्तें	अनुपालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि की बैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-1
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP (c) 202/1995 में दिनांक- 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 2.43 हे० वन भूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP (c) 202/1995 में दिनांक- 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 2.43 हे० वन भूमि हेतु कुल 15,21,180.00 रु० मात्र NPV मद की राशि कैम्पा खाता में जमा किया है। जिसका Payment Refrence No.- CNRBR51020110651458435 Dated 07.11.2020 है। अनुलग्नक-2
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अन्तर राशि जर्मा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-3
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि के CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भिन्न-भिन्न मदों में CAMPA खाता में जमा कि गई राशि की विवरणी निम्नवत् है। NPV मद में — 15,21,180.00 100 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) — 19,16,142.00 34,37,322.00

		कुल चौतिस लाख सैतिस हजार तीन सौ बाईस रु0 मात्र CAMPA खाता नं0 150727340007266 में IFC Code No. CORP0000371 Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की गई है। अनुलग्नक-4
5	प्रस्तावित वनभूमि में ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के क्रम में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-5
6	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में कुल 100 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में कुल 100 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 19,16,142.00 रु मात्र कैम्पा खाता में जमा किया गया है। जिसका Payment Refrence No.- CNRBR51020110651458435 Dated 07.11.2020 है। (अनुलग्नक-6 संलग्न।)
7	ग्रीड से जो तार बाहर खींचे जाए उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से ऊँचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-7
8	ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-8
9	भविष्य में यदि राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-9
10	वन भूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-10
11	यदि गैर वन भूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जाएगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-11
12	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा। अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अनुलग्नक-12

13	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।
----	---	---

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया गया है। अथवा बचनबद्धता दी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, राँची ने निर्देश दिया है कि अनुपालन में निम्नांकित सूचना भेजा जाए। "राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्टेज-I स्वीकृति की शर्तों में अपयोजित होने वाली वनभूमि के बदले में CA land (गैर वनभूमि) सम्बंधित कोई शर्त अधिरोपित नहीं किया गया है।"

उपरोक्त के आलोक में मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु कुल 2.43 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर करवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां।

विश्वासभाजन.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 251....

दिनांक 01.2.2021

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/SM, ट्रांसमिशन प्रमंडल JUSNL, डालटेनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

KQr.

1.2.21

.011



कार्यालय: मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।
Office of Chief Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.
ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in
दूरभाष / Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक- 31

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

मेदिनीनगर, दिनांक - 6.1.2021

झारखण्ड उर्जा संचारण निगम लिमिटेड द्वारा पलामू के छतरपुर के ग्राम-रूदवा में 132/33 के 0वी 0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 2.43 हे 0 (6.00 एकड़) गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार का पत्र संख्या वनभूमि-45/2019-3424 व 0 प 0, राँची, दिनांक 04.09.2019, आपका ज्ञापांक 1092 दिनांक 06.09.2019, एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्रांक 4357 दिनांक 02.12.2020, इस कार्यालय के पत्रांक 1951 दिनांक 09.12.2020 तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्रांक 04 दिनांक 02.01.2021

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विषयगत परियोजना को राज्य सरकार द्वारा 13 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गये 13 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के पत्रांक 4357 दिनांक 02.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 13 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन/वचनबद्धता प्रमाण पत्र में त्रुटि रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1951 दिनांक 09.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संशोधित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की मांग किया गया, जिसके आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के पत्रांक 04 दिनांक 02.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

इस कार्यालय का ज्ञापांक 12 दिनांक 04.01.2021 के द्वारा विषयक मामले की संचिका वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, के पत्र संख्या 4542 दिनांक 08.10.2014 के निर्देश के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मूल संचिका भेजी गयी। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के पत्रांक 18 दिनांक 05.01.2021 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही हैं।

अनु: 0 यथोक्त।

विश्वसभाजन,

मुख्य वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

06/01/2021

103



कार्यालय: मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।
Office of Chief Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.
ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in
दूरभाष / Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

सेवा में,
पत्रांक- 1951
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

विषय:- मेदिनीनगर, दिनांक - 9/12/20
झारखण्ड उर्जा संचारण निगम लिमिटेड द्वारा पलामू के छतरपुर के ग्राम-रूदवा में 132/33 केवी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 2.43 हे0 (6.00 एकड़) गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग: - आपका पत्रांक 4357 दिनांक 02.12.2020

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विषयगत परियोजना में राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति 13 शर्तों के साथ दी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा लगाए गये 13 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन आपके प्रमण्डलीय पत्रांक 4357 दिनांक 02.12.2020 द्वारा समर्पित किय गया है, परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन/वचनबद्धता प्रमाण पत्र में Stage-II Compliance Check List अंकित है। जबकि यह Stage-I का अनुपालन प्रतिवेदन है।

अतः प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन मूलरूप में 6 प्रति में वापस करते हुए निर्देश है कि संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन 7 प्रतियों में शीघ्र उपलब्ध कराए, ताकि अग्रतर कार्रवाई शीघ्र हो सके।

अनु:0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

9/12/20